विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) तारीख 31-10-1992 को गुजरात उच्च न्यायालय में दुर्घटना दावा के 3608 मामले लंबित थे । जिला न्यायालयों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बकाया मामला समिति, जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की समीक्षा की थी, द्वारा की गई सिफारिशें, जिनमें न्यायपालिका में अधिकारिता विषयक और प्रक्रियात्मक उपान्तरण सुधार; न्यायालयों में कार्यालय उपस्करों के आधुनिकीकरण सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और न्यायालयों में दिन-प्रतिदिन के कार्य में सुधार; सुलह न्यायालयों की स्थापना और इसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों आदि के समक्ष कार्यवाहियों को भी लागू करना, जैसे विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं, गुजरात उच्च न्यायालय सहित सभी संबद्ध राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई है ।

लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य-विधानमंडलों के चुनाव

1287. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य-विधान मंडलों में कुल कितने स्थान रिक्त हैं और इन स्थानों के लिए कब तक चुनाव कराए जाने की संभावना है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : रिक्त स्थानों की बाबत जानकारी निम्नलिखित है :--

लोक सभा--बारह

राज्य सभा--नौ

राज्य विधान सभाएं--पैंतीस

राज्य विधान परिषदें--सैंतालीस

निर्वाचन आयोग लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सभी उन रिक्त स्थानों पर, जहां न्यायालय का आदेश नहीं है, अप्रैल और मई, 1993 में निर्वाचन कराने के लिए पहले ही कदम उठा चुका है । जम्मू-कश्मीर में लोक सभा के छह स्थानों पर, विधि और व्यवस्था की स्थिति अनुकूल होते ही, निर्वाचन करा लिए जाएंगे । जहां तक राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों में रिक्त स्थानों का संबंध है तीन रिक्त स्थानों को छोड़कर, अन्य सभी की बाबत निर्वाचक-गण विद्यमान नहीं हैं । दो रिक्त स्थानों के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और तीसरे स्थान से संबंधित मामला न्यायाधीन है ।

Legal provisions to discourage non-serious contestants in general (elections

1288. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether large number of contestants in a constituency poses difficulties in conducting elections; and

(b) if so, what action is proposed to be taken by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) Certain provisions such as increasing the security deposit, increase in the number of proposers etc. are under consideration of the Government to discourage non-serious candidates from contesting elections.

मतदाताओं को पहचान पत्र दिया जाना

1289. **श्री सोमपाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होगी ?